

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

करण संख्या: 38/2021

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रार्थी :-

1. भेरा वल्द वाला  
जाति कलबी निवासी प्रतापगढ तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर  
बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. खीमाराम पुत्र लिछमणाराम
2. भूपाराम पुत्र लिछमणाराम
3. मांगाराम पुत्र हेमाराम
4. रासिंगा पुत्र वाला  
जाति कलबी निवासी प्रतापगढ तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
5. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-


1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

--: आदेश :-

दिनांक :- 10.08.21

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।


हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2070-2073 सरहद मौजा प्रतापगढ पटवार मण्डल सिन्धासवा हरनियान तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 71/2 रकबा 1-13 बीघा, खसरा नम्बर 71/3 रकबा 32-17 बीघा भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का  निदान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में

विवादित खसरा सरहद मौजा प्रतापगढ पटवार मण्डल सिन्धासवा हरनियान तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 71/2 रकबा 1-13 बीघा, खसरा नम्बर 71/3 रकबा 32-17 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुडामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुडामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुडामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक ...10-8-21..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

  
( प्रमोद कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी